न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), हमीरपुर।

सेशन केस न०–487/2024

राज्य **प्रति** **रामनरेश सिंह**

धारा–135 विद्युत अधिनियम
मु०अ०सं०–330/2021
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट,
जिला– हमीरपुर

<u>आरोप</u>

मैं, **संजय कुमार गोंड,** अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), हमीरपुर आप अभियुक्त **रामनरेश सिंह पुत्र महाराज सिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:–

यह कि दिनांक 01.02.2021 को समय करीब 14.20 बजे स्थान वाणिज्य परिसर, ग्राम कुण्डौरा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर में अवर अभियन्ता प्रदीप कुमार गोयल द्वारा अपने स्टाफ के साथ दौरान चेकिंग आपके वाणिज्यक परिसर पहुॅचे तथा आपके संयोजन को चेक किया तो पाया कि आपके द्वारा अपने वाण्ज्यिक प्रतिष्ठान चन्देल ढाबा परिसर में लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से एल0टी0 साइड से दो कोर की एक केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। आपके पास से मौके से विद्युत संयोजन के कोई भी वैध कागज प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–30.07.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण के लिए अनुरोध किया।

दिनांक–30.07.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त रामनरेश सिंह की ओर से एन.बी.डब्लू. निरस्त के लिये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त का एन०बी०डब्लू० मु०–20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात बन्धपत्र एवं अण्डरटेकिंग दाखिल होकर स्वीकृत। पत्रावली आरोप हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0) हमीरपुर

30.07.2026

(लंच बाद)

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रामनरेश सिंह मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आरोप पर विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध बनता है।

मैंने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध कारित किये जाने में प्रथम दृष्टया आरोप बनाये जाने हेतु साक्ष्य उपलब्ध है। इस स्तर पर अभियोजन साक्ष्य की बहुत बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त रामनरेश सिंह को विद्युत अधिनियम की धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप से आरोपित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 04.08.2026 को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0)
हमीरपुर।

Digitally signed by SANJAY KUMAR GOND
Date: 2026.07.30 16:35:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court